बिहार सरकार
वित्त विभाग
अधिसूचना

पत्रांक- एम-4-48/2012(खंड-I)-3457 (वि०) पटना, दिनांक- 19.05.17

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 283 (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार वित्त नियमावली, 1950 (समय-समय पर यथा संशोधित) का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ-(1) यह नियमावली बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2017 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरत प्रवृत होगी।

2. बिहार वित्त नियमावली, 1950 के नियम-30 के उपनियम-(xix) के बाद निम्नलिखित उपनियम-(xx) जोड़ा जाएगाः-

''(xx) Government e Market Place (GeM) पर उपलब्ध Suppliers से, आवश्यक गुणवत्ता, विशिष्टियाँ एवं आपूर्त्ति अवधि को ध्यान में रखते हुए 50,00/- रुपये तक की सामग्रियों की खरीद की जा सकेगी। 50,00/- रुपये से अधिक की सामग्रियों की खरीद, उपलब्ध आपूर्ति में से न्यूनतम कीमत रखने वाले आपूर्तिकर्ता के माध्यम से, उनकी आवश्यक गुणवत्ता, विशिष्टयाँ एवं आपूर्ति-अवधि को ध्यान में रखते हुए GeM पर उपलब्ध किये गये online bidding एवं online reverse auction का उपयोग करते हुए, की जा सकेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय)

ज्ञापांक- एम-4-48/2012(खंड-I)-3457 (वि०) पटना, दिनांक- 19.05.17

प्रतिलिपिः- महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, महालेखाकार कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना-800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

ह०/-
सचिव (व्यय)

ज्ञापांक- एम-4-48/2012(खंड-I)-3457 (वि०) पटना, दिनांक- 19.05.17

प्रतिलिपिः- सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी एवं सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ पेषित।

ह०/-
सचिव (व्यय)